न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (डीग)

पीठासीन अधिकारीः श्री सृष्टि जैन (आर.ए.एस.) निर्णय दिनांकः 07.11.2024
वाद संख्याः 428 / 2022

1. जगदेव पुत्र स्व0 श्री समयसिंह जाति मेव निवासी ग्राम जलालपुर तहसील नगर हाल तहसील सीकरी जिला डीग।
2. प्रताप उर्फ परताप पुत्र स्व0 श्री समे सिंह ––(मृतक)
   - 2/1 आसिया धर्मपत्नी स्व0 श्री प्रताप उर्फ परताप जाति मेव निवासी ग्राम जलालपुर तहसील सीकरी जिला डीग।
   - 2/2 परमीना पुत्री स्व0 श्री प्रताप उर्फ परताप पत्नी निजामुददीन जाति मेव निवासी ग्राम सैमला खुर्द तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।
   - 2/3 मुबीना पुत्री स्व0 श्री प्रताप उर्फ परताप पत्नी वहीद जाति मेव निवासी ग्राम जलालपुर तहसील सीकरी जिला डीग।
   - 2/4 मुबीन पुत्र स्व0 श्री प्रताप उर्फ परताप जाति मेव निवासी ग्राम जलालपुर तहसील सीकरी जिला डीग।
   - 2/5 रूकसीना पुत्री स्व0 श्री प्रताप उर्फ परताप पत्नी हाकम जाति मेव निवासी ग्राम जलालपुर तहसील सीकरी जिला डीग।
   - 2/6 आसिद पुत्र स्व0 श्री प्रताप उर्फ परताप जाति मेव निवासी ग्राम जलालपुर तहसील सीकरी जिला डीग।
   - 2/7 संजीदा पुत्री स्व0 श्री प्रताप उर्फ परताप पत्नी रसीद जाति मेव निवासी ग्राम रायपुर सुकेती तहसील सीकरी जिला डीग।
   - 2/8 साजिदा पुत्री स्व0 श्री प्रताप उर्फ परताप पत्नी अजीज जाति मेव निवासी ग्राम गाधानेर तहसील पहाडी जिला डीग।
3. महताव पुत्र स्व0 श्री समे सिंह
4. अतरू पुत्र स्व0 श्री समेसिंह
5. साहून पुत्र स्व0 श्री जगमाल
6. सुवानी पुत्री स्व0 श्री जगमाल

जातियांन मेव निवासी ग्राम जलालपुर तहसील सीकरी जिला डीग।
––––वादीगण

बनाम

1. शांतीदेवी पुत्री रामस्वरूप जाति जाटव निवासी ग्राम जलालपुर तहसील सीकरी जिला डीग।
2. रोहिताश पुत्र श्रीराम जाति जाटव निवासी जलालपुर तहसील सीकरी जिला डीग।
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील नगर हाल तहसील सीकरी।

सत्यापित प्रति

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग) राज०

4. राजस्थान सरकार जरिये तामील नायब तहसीलदार सीकरी कम सब रजिस्ट्रार महोदय, सीकरी जिला डीग।

दावा बाबत दुरूस्ती, डिक्लेरेशन, खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट

उपस्थितः–

1. श्री श्याम बाबू सेठी अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री जमील खां अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02।

निर्णय

यह वादपत्र वादी ने इस आशय का संस्थित किया कि हाल आराजी खसरा नंबर 114/0.44, 115/2.03, 116/0.96, 117/0.39, 106/3.67 बाके ग्राम जलालपुर तहसील नगर हाल तहसील सीकरी में अवस्थित है। हाल आराजी खसरा नंबर 114, 115, 116 साविक खसरा नंबर 231 रकवा 28 बीघा 4 बिस्वा से कायम हुआ है। साबिक आराजी खसरा नंबर 231 के रकवा में से 25 बीघ्झा जमीन ग्यानचंद (ज्ञानचंद) पुत्र बूटाराम कौम खत्री साकिन सीकरी की एलोटी थी, जिसकी कीमत ज्ञानचंद ने सनद संख्या 79 से 1125/– रू0 अंकेन [illegible] सौ पच्चीस रूपया मात्र दिनांक 26.07.1975 को जमा करा कर सनद प्राप्त की। जिससे ज्ञानचंद इन्तकाल संख्या 520 से आराजी पर खातेदार दर्ज हो गया। वादी संख्या 01 लगा. 04 एवं 5 व 6 के मृतक पिता जगमाल ने साबिक खसरा नंबर 231 का रकवा 25 बीघा जो कि ज्ञानचंद पुत्र बूटाराम को एलोट होकर खातेदारी का अभिलेख होने के पश्चात जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 12.09.1975 को कय कर कब्जा प्राप्त कर लिया। जगमाल के फौत होने के उपरान्त जगमाल के वारिस वादी संख्या 05 व 06 अपने पिता के 1/5 हिस्सा पर यानि कुल जमीन की 5 बीघा जमीन पर मौके पर बतौर मालिक खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज हैं। इस प्रकार वादीगण का सम्मिलित रूप मुताबिक वयनामा दिनांक 12.09.1975 एवं राजस्व रिकार्ड की प्रवष्टियों के अनुरूप साबिक खसरा नंबर 231 में से 25 बीघा रकवा है। दौराने बन्दोबस्त कार्यवाही के साबिक खसरा नंबर 231 के नवीन खसरा नंबरान 114, 115, 116 बनाये हैं जिनका कुल रकवा 3.43 है0 दर्ज किया, जिसका मैट्रिक पद्धति के [illegible]र पर 21 बीघा 7 ऐयर बनता है जो कि कानूनन कम दर्ज किया गया है जबकि कानूनन सेटिलमेन्ट विभाग को रकवा कम व अधिक करने का कोई अधिकार हॉसिल नहीं है एवं न ही राजस्व रिकार्ड में प्रवष्टि तबदील करने का कोई अधिकार है। जिन्हे वादीगण विधिवत शुद्ध कराने का अधिकारी है। साबिक खसरा नंबर 231 का कुल रकवा 28 बीघा 4 बिस्वा है जिसकी ताईद राजस्व रिकार्ड से होती है और जिसमें से 25 बीघा जमीन ज्ञानचंद पुत्र बूटाराम कोम खत्री निवासी सीकरी को एलोट हुई, जिसमें से वादीगण के पूर्वज जगमाल ने 25 बीघा जमीन जरिये रजिस्टर्ड वयनामा कय की। भू–प्रबंध के बाद उक्त आराजी का रकवा 21 बीघा 7 ऐयर आया है जिसकी पूर्ति के लिए वादीगण का 0.35 है0 रकवा नवीन खसरा नंबर 106/3.67 में गया था, जो कि सिवाय चक सरकारी खाते में था जिसकी दुरूस्ती

pg. 2

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग) राज0

अदालत से डिक्री दिनांक 12.11.2008 से हो चुकी है। तब भी वादीगण का रकवा 23 बीघा 10 ऐयर होता वादीगण का सम्पूर्ण रकवा 25 बीघा पूर्ण नहीं हुआ, 1 बीघा 6 ऐयर रकवा की कमी रह गई। साबिक व नवीन रिकार्ड के अवलोकन से साफ स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 231 का 1 बीघा 4 बिस्वा रकवा नवीन खसरा नंबर 117/0.39 में मिला हुआ है, जोकि कानूनन गलत है और जिसको भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियों ने सम्मिलित किया है। अतः वादीगण आराजी खसरा नंबर 117/0.39 में से 0.20 है0 रकवा पर प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन करा पाने का एवं 0.20 है रकवा पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 का आराजी खसरा नंबर 117/0.39 में से वादीगण के हिस्से 0.20 है0 आराजी पर कोई सम्बंध व सरोकार नहीं है मात्र भू–प्रबंध विभाग द्वारा परिवर्तित राजस्व रिकार्ड के आधार पर उक्त रकवा प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। उक्त इन्द्राजात के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 ने वादीगण को ऐलानियां धमकी दी कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार आराजी को हम दीगर लोगों को बेचान कर देगें, कब्जा कर लेगें। प्रतिवादीगण अपनी इस धमकी में कामयाब हो गये तो वादीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद या किसी अन्य तरह से नहीं हो सकेगी। अतः वादीगण आराजी खसरा नंबर 117/0.39 में से 0.20 है0 रकवा पर राजस्व रिकार्ड में अमल कराने हेतु डिक्री डिक्लेरेशन पाने एवं प्रतिवादी संख्या 01, 02 के नाम हो रहे इन्द्राजात को कमलजन कराये जाने का अधिकारी है एवं जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को पाबंद फरमाया जावे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त आराजी में मदाख्लत मजाहमत नहीं करें, रहन वय मुन्तकिल न करें एवं ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे हकूक वादी जायल हो।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 31.08.2016 को प्रकरण में वादीगण का वाद पत्र स्वीकार नहीं होने के कारण न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नगर (भरतपुर) द्वारा खारिज फरमाया गया। वादीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान के निर्णय की अपील श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के यहां की गई। जिसमें न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा वादीगण की अपील स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 31.08.2016 को अपास्त करते हुए प्रकरण न्यायालय को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि प्रकरण में तहसीलदार सीकरी से आराजी की बाबत रिपोर्ट ली जाकर उभय पक्ष को साक्ष्य व सुनवाई हेतु अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में प्रतिवादीगण की पुनः तलवी की गई। प्रतिवादी संख्या 02 रोहिताश पुत्र श्रीराम द्वारा पूर्व में ही दिनांक 14.02.2011 को वादीगण के वाद पत्र को स्वीकारते हुए इकबाल दावा पेश कर रखा है। प्रतिवादी संख्या 01 की तलवी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की तलवी मकान पर चस्पा की जाकर की गई, इन्तजार करने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित न्यायालय नहीं होने के कारण दिनांक 07.05.2024 को प्रतिवादी संख्या 01 के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 18.07.2024 को पैरोकार

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग) राज०

सरकार (तहसीलदार सीकरी) ने जबाब दावा पेश किया।

पेरोकार सरकार ने अपने जबाब में कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 114, 116, 115 पर वादीगण दर्ज रिकार्ड हैं एवं आराजी खसरा नंबर 117/0.39 पर प्रतिवादी संख्या 01, 02 दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वादीगण के पूर्वज जगमाल ने ग्यानचंद पुत्र बूटाराम कोम खत्री से साविक खसरा नंबर 231 में से 25 बीघा जमीन जरिये रजिस्टर्ड वयनामा कय की थी। जिसका इन्तकाल संख्या 520 दर्ज हो गया। साविक खसरा नंबर 231 से बने नवीन खसरा नंबर 114/0.44, 115/2.03, 116/0.96 का कुल रकवा 3.43 है0 यानि 21 बीघा 9 बिस्वा दर्ज किया गया जो कि 25 बीघा से कम दर्ज किया गया। जिसकी पूर्ति हेतु जरिये डिकी दिनांक 12.11.2008 को खसरा नंबर 106/3.67 में से 0.35 है0 रकवा वादीगण के दर्ज किया गया। जिसको मिलाकर वादीगण का कुल रकवा 3.78 है0 यानि 23 बीघा 11 बिस्वा जो मूल रकवा 25 बीघा से कम है। साबिक खसरा नंबर 231 से लगते हुए खसरा नंबर 227 रकवा 5 बीघा 19 बिस्वा यानि 0.95 है था जिसका नवीन खसरा नंबर 118/0.11, 119/0.12, 120/0.27, 121/0.24 एवं 117/0.39 बने जिनका कुल रकवा 1.13 है0 यानि 7 बीघा 1 बिस्वा होता है जबकि मूल खसरा नंबर 227 का रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा यानि 0.95 है0 था जो वर्तमान से 0.18 है0 कम था। साबिक खसरा नंबर 231 में से 0.18 है0 रकबा वादीगण के हिस्से से कम करते हुए नवीन खसरा नंबर 117/0.39 में मिला दिया गया। खसरा नंबर 117/0.39 में से 0.18 है0 रकबा वादीगण के हिस्से में दर्ज करने पर वादीगण का 25 बीघा [illegible] पूर्ण हो जाता है।

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में वादी जगदेव, गवाह रहमत पुत्र नत्थू, गवाह सिरदार पुत्र भज्जन के शपथ पत्र पेश किये हैं। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत 2063–2066 प्रदर्श पी–1, भू–प्रबंध विभाग का मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी–2, खसरा गिरदावरी संवत 2034 से 2037 प्रदर्श पी–3, नामान्तरकरण संख्या 520 दिनांक 16.12.1975 प्रदर्श पी–5, नामान्तरकरण संख्या 519 दिनांक 16.12.1975 प्रदर्श पी–4, बयनामा दिनांक 12. 09.1975 प्रदर्श पी–6, सनद संख्या 79 दिनांक 26.07.1975 प्रदर्श पी–7, जमाबंदी संवत 2025 से 2028 प्रदर्श पी–8, साबिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी–09, हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी–10, हाल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किंये हैं।

गत तारीख पेशी को वादीगण के अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वदीगण के अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व [illegible]यों का अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में निम्न दृष्टांत भी प्रस्तुत किए गए।

1. आर.आर.टी 2016(1) पेज संख्या 539 शिवनाथ बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय,
2. आर.आर.डी. 1993 पेज 45 ओमप्रकाश बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय
3. आर.आर.डी. 2001 पेज 60 एवं आर.आर.टी. (1) पेज 244 उच्च न्यायालय 2003, आर. बी.जे. पेज 118 के अनुसार भू प्रबंध विभाग को इन्द्राज परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सीकरी (डीग) राज0

pg. 258

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग) राज0

विधिक प्रावधानः– राजस्थान भू–राजस्व (द्वितीय संसोधन) अधिनियम 1995 दिनांक 22.11.1995 से लागू हो गया है। इसके अनुसार भू–प्रबंध के दौरान भू–प्रबंध कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा 123 व 125 एल.आर.एक्ट की आड में कब्जे के आधार पर खातेदारी भूमि को सिवायचक/चारागाह या इसके विपरीत सिवायचक या चारागाह को खातेदारी में अंकित कर दिया जाता था जिसके परिणामस्वरूप बडी संख्या में अनियमितताएं हुई हैं जिनसे अनावश्यक मुकदमेबाजी भी बढी है और कब्जे के आधार अन्य ऐसे विवाद भी निर्णित कर दिये जाते थे जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। इस संसोधन के द्वारा धारा 122 को संसोधित किया गया, धारा 123 व 125 एल.आर.एक्ट को विलोपित किया गया और धारा 136 एल.आर.एक्ट को प्रतिस्थापित किया गया। इस संसोधन के पीछे मूल भावना यह थी कि उपरोक्त प्रकार की गलतियों पर अंकुश लग सके तथा समरी ट्रायल से उपरोक्त गलतियों को ठीक किया जा सके। उक्त संसोधन के पश्चात कुछ इस प्रकार स्थिति बनती है। भू–प्रबंध कार्यवाही बन्द होने के पश्चात जो मामले भू–प्रबंध अधिकारी के अनिर्णित रह जाते हैं, वे भू–अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) को हस्तांतरित कर दिये जाते हैं। ऐसे मामले भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा विधि के प्रावधान अनुसार निर्णित किये जायेंगे।

भू–प्रबंध के दौरान जो लिपिकीय व अन्य गलतियां भू–प्रबंध अधिकारियों द्वारा की गई, उनका निर्धारित रीति द्वारा भू–अभिलेख शुद्धिकरण कर सकेगा, या करा सकेगा बशर्ते कि हितबद्ध पक्षकार ऐसी गलतियों का भू–अभिलेख या रजिस्टर में किया जाना स्वीकार करें। यदि किसी राजस्व अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान उपरोक्त प्रकार की गलतियां नोटिस की जाती है तो उन्हें एस.डी.ओ. को भेजेंगे। पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने हेतु नोटिस देकर तथा सुनवाई का अवसर प्रदान कर गलती के शुद्धिकरण हेतु भू–अभिलेख अधिकारी आवश्यक कार्यवाही करेगा।

राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या प.12(183)रेव/बी/56 दिनांक 17–9–56 द्वारा ये शक्तियां उपखण्ड अधिकारी को दी हुई हैं। यह अधिसूचना आज भी प्रभावी है। अतः वर्तमान में सभी उपखण्ड अधिकारियों के पास भू–अभिलेख अधिकारी की शक्तियां हैं। उपखण्ड अधिकारी के नीचे का कोई अधिकारी उपरोक्त प्रकार की गलतियों के शुद्धिकरण के लिए सक्षम नहीं है। यदि किसी सिवायचक या राजकीय भूमि के किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी अथवा गैर खातेदारी में बिना किसी सक्षम आदेश के दर्ज कर दिया गया है तो ऐसी गलतियों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की संशोधित धारा 136 के अन्तर्गत भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा ठीक किया जा सकेगा या ठीक कराया जा सकेगा। वर्तमान प्रकरण में हुई त्रुटि को विहित रीति से सही करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को है। अतः निर्धारण किए जाने वाले प्रथम बिन्दू के अनुसार वादी सेटलमेंट विभाग की त्रुटि को दुरूस्त कराये जाने का अधिकारी है।

वर्तमान में आराजी खसरा नंबर 117/0.39 बाके ग्राम जलालपुर अनुसूचित जाति के खातेदारों के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के धारा विहित प्रावधानों का भी उल्लेख यहां सुसंगत है। धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कुछ इस प्रकार से है।

pg. 250

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग) राज०

"42. विक्रय, दान और वसीयत पर साधारण निर्बन्धन किसी खातेदार अभिधारी द्वारा अपनी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग में के अपने हित का विक्रय, दान या वसीयत शून्य होगी, यदि–

1 (क) विलोपित

(ख) ऐसा विक्रय, दान या वसीयत, अनुसूचित जाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जो अनुसूचित जाति का सदस्य न हो, या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में हो जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो।

2 (ख ख) खण्ड ख में किसी बात के होते हुए, सहारिया अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उक्त सहारिया जनजाति का सदस्य नहीं है, ऐसा विक्रय दान या इच्छापत्र (वसीयत)"

न्यायिक दृष्टांत लाड बाई बनाम अन्य में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा कुछ इस प्रकार से अपना अभिमत प्रकट किया गया है।

"धारा 42 जब लागू नहीं होती – अनुसूचित जाति के किसान की जमीन अन्य जाति के किसान के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के निष्पादन में अन्तरित की गई। ऐसा अन्तरण विक्रय, दान या वसीयत नहीं है। अतः धारा 42 ऐसे अन्तरण को लागू नहीं होती। राजस्व मण्डल का आदेश तथा कलक्टर का रेफरेन्स कानूनन गलत होने से अपास्त किए गए। (1983 आर.आर.डी. 159 को अवधानता–ग्रस्त माना गया)"

उक्त दृष्टान्त के तथ्य यहाँ पूर्णतया चस्पा होते है। एक विधिक त्रुटि के कारण जो हक हकूक वैध रूप से हस्तांतरित नहीं हुए हैं उनके बाबत धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। इस प्रकार प्रस्तुत वाद में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं। अतः निर्धारण किए जाने वाला द्वितीय बिंदू भी वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

अतः विद्वान अधिवक्ता की बहस, न्यायिक दृष्टान्त तथा रिकार्ड एवं तहसीलदार सीकरी की रिपोर्ट के आधार पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वादीगण के पूर्वज जगमाल द्वारा साबिक खसरा नंबर 231 में से 25 बीघा आराजी को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय किया गया था, दौराने बन्दोबस्त, भू–प्रबंध विभाग द्वारा साबिक आराजी खसरा नंबर 231 से हाल आराजी खसरा नंबर 114, 115, 116 बनाये गये एवं साबिक आराजी खसरा नंबर 231 एवं 227 से मिलाकर हाल आराजी खसरा नंबर 117 बनाया गया। वादीगण को बन्दोबस्त के बाद कुल रकवा 25 बीघा के स्थान पर 21 बीघा 9 बिस्वा प्राप्त हुआ जो कि 25 बीघा से कम दर्ज किया गया। जिसकी पूर्ति हेतु जरिये डिक्री दिनांक 12.11.2008 को खसरा नंबर 106/3.67 में से 0.35 है0 रकवा वादीगण के दर्ज किया गया। जिसको मिलाकर

pg. 260

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग) राज0

वादीगण का कुल रकवा 3.78 है0 यानि 23 बीघा 11 बिस्वा जो मूल रकवा 25 बीघा से कम है। साबिक खसरा नंबर 231 से लगते हुए खसरा नंबर 227 रकवा 5 बीघा 19 बिस्वा यानि 0.95 है था जिसका नवीन खसरा नंबर 118/0.11, 119/0.12, 120/0.27, 121/0.24 एवं 117/0.39 बने जिनका कुल रकवा 1.13 है0 यानि 7 बीघा 1 बिस्वा होता है जबकि मूल खसरा नंबर 227 का रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा यानि 0.95 है0 था जो वर्तमान से 0.18 है0 कम था। साबिक खसरा नंबर 231 में से 0.18 है0 रकबा वादीगण के हिस्से से कम करते हुए नवीन खसरा नंबर 117/0.39 में मिला दिया गया। खसरा नंबर 117/0.39 में से 0.18 है0 रकबा वादीगण के हिस्से में दर्ज करने पर वादीगण का 25 बीघा रकबा पूर्ण हो जाता है।

अतः आदेश है किः–

दावा वादीगण मुताबिक साबिक राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार सीकरी इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 117/0.39 बाके ग्राम जलालपुर तहसील सीकरी में से 0.18 है0 रकवा पर वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रकवा 0.18 है0 पर से प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाकर नवीन खसरा नंबर 117/1 रकवा 0.18 है0 कायम किया जाये। इस अनुसार नक्शा ट्रेस नवीन ने तरमीम की जावे। शेष प्रवष्टियां यथावत रखी जावें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग)

निर्णयः– जगदेव बनाम शांतिदेवी वगै0
दावा अंतर्गत 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांकः– 07.11.2024

डिक्री व मुकदमें इब्तनाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (डीग)

पीठासीन अधिकारीः श्री सृष्टि जैन (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः 428 / 2022

निर्णय दिनांकः 07.11.2024

1. जगदेव पुत्र स्व0 श्री समयसिंह जाति मेव निवासी ग्राम जलालपुर तहसील नगर हाल तहसील सीकरी जिला डीग।
2. प्रताप उर्फ परताप पुत्र स्व0 श्री समे सिंह —(मृतक)
   2/1 आसिया धर्मपत्नी स्व0 श्री प्रताप उर्फ परताप जाति मेव निवासी ग्राम जलालपुर तहसील सीकरी जिला डीग।
   2/2 परमीना पुत्री स्व0 श्री प्रताप उर्फ परताप पत्नी निजामुददीन जाति मेव निवासी ग्राम सैमला खुर्द तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।
   2/3 मुबीना पुत्री स्व0 श्री प्रताप उर्फ परताप पत्नी वहीद जाति मेव निवासी ग्राम जलालपुर तहसील सीकरी जिला डीग।
   2/4 मुबीन पुत्र स्व0 श्री प्रताप उर्फ परताप जाति मेव निवासी ग्राम जलालपुर तहसील सीकरी जिला डीग।
   2/5 रूकसीना पुत्री स्व0 श्री प्रताप उर्फ परताप पत्नी हाकम जाति मेव निवासी ग्राम जलालपुर तहसील सीकरी जिला डीग।
   2/6 आसिद पुत्र स्व0 श्री प्रताप उर्फ परताप जाति मेव निवासी ग्राम जलालपुर तहसील सीकरी जिला डीग।
   2/7 संजीदा पुत्री स्व0 श्री प्रताप उर्फ परताप पत्नी रसीद जाति मेव निवासी ग्राम रायपुर सुकेती तहसील सीकरी जिला डीग।
   2/8 साजिदा पुत्री स्व0 श्री प्रताप उर्फ परताप पत्नी अजीज जाति मेव निवासी ग्राम गाधानेर तहसील पहाडी जिला डीग।
3. महताव पुत्र स्व0 श्री समे सिंह
4. अतरू पुत्र स्व0 श्री समेसिंह
5. साहून पुत्र स्व0 श्री जगमाल
6. सुवानी पुत्री स्व0 श्री जगमाल

जातियान मेव निवासी ग्राम जलालपुर तहसील सीकरी जिला डीग।

——वादीगण

बनाम

1. शांतीदेवी पुत्री रामस्वरूप जाति जाटव निवासी ग्राम जलालपुर तहसील सीकरी जिला डीग।
2. रोहिताश पुत्र श्रीराम जाति जाटव निवासी जलालपुर तहसील सीकरी जिला डीग।

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग) राज0

pg 262

3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील नगर हाल तहसील सीकरी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तामील नायब तहसीलदार सीकरी कम सब रजिस्ट्रार महोदय, सीकरी जिला डीग।

दावा बाबत दुरूस्ती, डिक्लेरेशन, खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई, रू–ब–रू हमारे बहाजरी श्री श्यामबाबू सेठी अभिभाषक मिनजानिब अभिभाषक श्री मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि दावा वादीगण मुताबिक साबिक राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार सीकरी इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 117/0.39 बाके ग्राम जलालपुर तहसील सीकरी में से 0.18 है0 रकवा पर वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रकवा 0.18 है0 पर से प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाकर नवीन खसरा नंबर 117/1 रकवा 0.18 है0 कायम किया जाये। इस अनुसार नक्शा ट्रेस नवीन ने तरमीम की जावे। शेष प्रवष्टियां यथावत रखी जावें। डिक्री बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 07.11.2024 को जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (डीग) राज0 सत्यमेव जयते